स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 104, दिनांक 09—04—2024

नशे के रूप में प्रयोग हेतु अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही 52 पेटी फेन्सेडिल कफ सिरप (20,800 शीशी) सहित एक व्यक्ति लखनऊ गिरफ्तार।

दिनांकः 09—04—2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को नशे के रूप में प्रयोग हेतु अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही 52 पेटी फेन्सेडिल कफ सिरप (20,800 शीशी) सहित एक व्यक्ति को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1— धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र विनोद कुमार, पता— निवासी ग्राम व पोस्ट अकोहडी थाना— मौरावां जनपद उन्नाव।

बरामदगी—

1— 52 पेटी अवैध कोडिनयुक्त औषधि फेन्सेडिल कफ सिरप (20,800 शीशी) कफ सिरप निर्माता कम्पनी एबॉट हेल्थकेयर प्रा०लि०, बद्दी, हिमांचल प्रदेश।
2— 2 अदद कूटरचित पैन कार्ड।
3— 01 अदद मोबाइल।
4— 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
5— 01 आधार कार्ड।
6— नगद 1000/— रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः— थाना सुशांत गोल्फ सिटी के सामने जनपद लखनऊ कमिश्नरेट दिनांक 08—04—2024 समय करीब 18:00 बजे।

विगत काफी दिनों से विभिन्न प्रकार के कफ सिरप व अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इसका अवैध भण्डारण व बिहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में सप्लाई होने की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्पेशल टॉस्क फोर्स लखनऊ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। जिसके क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 08—04—2024 को एसटीएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद बाडी टाटा ट्रक नं0 HR-38V4150, TATA 1109 में ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ से काफी मात्रा में फेन्सेडिल कफ सिरप लोडकर कूचबिहार एवं पश्चिम बंगाल के लिए निकलने वाला है, इस सूचना पर निरीक्षक श्री अंजनी कुमार तिवारी, हे0का0 श्री विनोद सिंह, हे0का0 श्री प्रशांत कुमार सिंह, हे0का0 श्री के0के0 त्रिपाठी, हे०का० चालक श्री विष्णु सिंह एवं औषधि विभाग

के निरीक्षक श्री नीलेश कुमार शर्मा, श्री संदेश मौर्या, औषधि निरीक्षक, लखनऊ, श्री सौरभ दुबे, औषधि निरीक्षक, लखनऊ मण्डल लखनऊ, श्री बृजेश कुमार, सहायक आयुक्त (औषधि) लखनऊ मण्डल लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सुलतानपुर बाईपास अहिमामऊ के पास से उक्त ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर चालक उपरोक्त ने बताया कि यह गाड़ी संतोष कुमार यादव निवासी– फरीदाबाद हरियाणा की है। बहादुरगढ़, हरियाणा एवं पीतमपुरा दिल्ली से सेनेटरी का माल लोड करके आसाम जाना था। बदरपुर नई दिल्ली में राविन सिंह निवासी आगरा मिला था, जिसने कहा था कि ट्रान्सपोर्ट लखनऊ से कुछ सामान कुचबिहार (पश्चिम बंगाल) पहुॅचाना है। जिस पर इसने लखनऊ आकर राविन द्वारा बताये गये नम्बर से सम्पर्क करने पर मिलने आये व्यक्तियों के साथ जाकर ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ में बने गोदाम से फेन्साडिल कफ सिरप अपने गाड़ी में लोड कराया था। उक्त सिरप पश्चिम बंगाल पहुॅचाने पर इसे रू0 30 हजार मिलता। इसके पहले भी कई बार ट्रान्सपोर्ट नगर लखनऊ से फेन्साडिल सिरप पश्चिम बंगाल पहुॅचा चुका है।

उल्लेखनीय है कि औषधियों का भण्डारण व क्रय–विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन निर्गत लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है तथा औषधियों की बिक्री उक्त नियमावली के नियम 65 के अनुसार निर्गत विक्रय बीजक के आधार पर ही किया जा सकता है ऐसा न करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा–18/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ कमिश्नरेट में मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन अपराध के सम्बन्ध में विवेचनोपरान्त औषधि निरीक्षक द्वारा अभियोजन की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जायेगी।